प्र0क0 आर.सी.टी. 6299/2022

// नि र्ण य //

*(आज दिनांक– **11 अक्टूबर, 2022** को घोषित)*

1. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 13 द्यूत अधिनियम के तहत अपराध है, उनको अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध किया जाना स्वीकार किया है। तदानुसार उनका अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्तगण के स्वीकारोक्ति के आधार पर यह न्यायालय अभियुक्तगण को धारा 13 द्यूत अधिनियम के आरोप में सिद्धदोष घोषित करता है।
2. परिणामस्वरूप यह न्यायालय अभियुक्तगण को धारा 13 द्यूत अधिनियम के आरोप में **100/– (एक सा रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित करता है, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्तगण को 07 दिन का साधारण कारावास भुगताया जाए।
3. अभियुक्त को इस प्रकरण में अभिरक्षा में लिया गया। अतः अर्थदण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त उनको उन्मुक्त किया जाये।
4. प्रकरण के अन्य आरोपी रविन्द्र गुर्जर शनि करोसिया अनुपस्थित हैं, अतः प्रकरण में जप्तशुदा संम्पति के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

स्थान– ग्वालियर
दिनांक–11.10.2022

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही/–
(सी0एस0 शैयाम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ग्वालियर